बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संख्या–15/आरोप (नालन्दा) 02–40/2023– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

सुश्री जूली कुमारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, परवलपुर, नालन्दा के विरूद्ध समाहर्त्ता, नालन्दा के पत्रांक–1942/स्था0, दिनांक–06.04.2023 द्वारा गठित आरोप पत्र में बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत अतिक्रमण वाद सं0–01/2013–14 में कार्रवाई नहीं करने, सरकारी कार्य में अभिरूचि नहीं लेने जैसे आरोप प्रतिवेदित किये गये। उक्त आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक–794(15), दिनांक–21.04.2023 द्वारा सुश्री कुमारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में पत्रांक–514, दिनांक–03.05.2023 से अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

2. सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–17107/2015 अरविन्द प्रसाद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–05.05.2023 को आरोपी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश दिया गया। उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प सं0–1035(15), दिनांक–24.05.2023 से सुश्री कुमारी के विरूद्ध आरोपों की सम्यक् जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें अपर समाहर्त्ता, नालन्दा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. समाहर्त्ता, नालन्दा द्वारा प्रतिवेदित उक्त आरोपों एवं सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–17107/2015 अरविन्द प्रसाद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के संदर्भ में महाधिवक्ता, बिहार के पत्रांक–12344, दिनांक–21.06.2023 द्वारा सूचित किया गया कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–21.06.2023 को कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी है कि–विभाग ने सिर्फ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की है, लेकिन अंचल अधिकारी को निलंबित नहीं किया गया है।

4. महाधिवक्ता, बिहार के उक्त पत्र के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय संकल्प सं0–1270(15), दिनांक–23.06.2023 से सुश्री जुली कुमारी, अंचल अधिकारी, परवलपुर, नालन्दा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–9(1)(क) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया गया।

5. अपर समाहर्त्ता–सह–संचालन पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक–6680/रा0, दिनांक–07.10.2023 से विभागीय कार्यवाही संचालनोपरान्त जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित बताया गया। उक्त के आलोक में सुश्री कुमारी से विभागीय पत्रांक–29(15), दिनांक–04.01.2024 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन की मांग की गयी, जिसके आलोक में सुश्री कुमारी द्वारा दिनांक–05.01.2024 से अपना द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन विभाग में समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा आरोपों एवं निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

6. आरोप पत्र में अंकित आरोपों, जाँच प्रतिवेदन एवं द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरान्त पाया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा समादेश याचिका संख्या–17107/2015 में दिए गए आदेश का पूर्ण अनुपालन कर दिया गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आरोपी पदाधिकारी के स्तर से ही किया गया है। ऐसी स्थिति में आरोपी पदाधिकारी सुश्री जूली कुमारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, परवलपुर सम्प्रति निलंबित मुख्यालय पटना प्रमंडल, पटना को आंशिक रूप से पाए गए चूक के लिए निन्दन (आरोप वर्ष–2021–2022) का दण्ड अधिरोपित करते हुये निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

7. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प सं0–500(15) दिनांक–22.03.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के **नियम–14 (i)** के तहत **"निन्दन** (आरोप वर्ष–2021) का शास्ति एवं निलम्बन से मुक्त करते हुए निलंबन अवधि में मात्र जीवन–निर्वाह भत्ता देय होगा के साथ विभागीय कार्यवाही समाप्त की गयी।

8. उक्त संसूचित दंड के विरूद्ध श्रीमती कुमारी द्वारा रिविजनल प्राधिकार–सह–माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के समक्ष सर्विस रिविजन वाद संख्या–93/2024–25 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–05.08.2025 को पारित आदेश में संकल्प सं0–500(15), दिनांक–22.03.2024 द्वारा अधिरोपित दण्ड **"निन्दन" (आरोप वर्ष–2021)** एवं निलम्बन अवधि में मात्र जीवन–निर्वाह भत्ता देय होने को **"निन्दन"** के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है।

9. साथ ही पुनरीक्षण आदेश में नियम–11(1) के प्रावधान के आलोक में निलम्बन अवधि के विनियमन के संदर्भ में कोई निर्णय नहीं होने क कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11(1), (3), (5) एवं (9), के प्रावधानों के अनुरूप श्रीमती कुमारी के निलम्बन अवधि को विनियमित करते हुए जीवन–निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य 25 प्रतिशत राशि के भुगतान हेतु अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

10. अतएव माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्रीमती कुमारी के विरूद्ध संकल्प सं0–500(15), दिनांक–22.03.2024 द्वारा अधिरोपित दण्ड **"निन्दन" (आरोप वर्ष–2021) एवं निलम्बन अवधि में मात्र जीवन–निर्वाह भत्ता देय होने** को **"निन्दन"** के रूप में प्रतिस्थापित करते हुए निलम्बन अवधि को विनियमित किया जाता है, तथा इसकी गणना सेवान्त लाभ हेतु की जाएगी। साथ ही श्रीमती कुमारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11(1), (3), (5) एवं (9), के प्रावधानों के तहत निलम्बन अवधि में जीवन–निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य 25 प्रतिशत की राशि देय होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(इनायत खान)
विशेष सचिव।

ज्ञापांकः–**15/आरोप (नालन्दा) 02–40/2023**–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

ई–मेल/ निबंधित

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, नालन्दा/आयुक्त के सचिव, पटना प्रमण्डल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/सुश्री जूली कुमारी, राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय–राजापाकर, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(इनायत खान)
विशेष सचिव।

ज्ञापांकः– **15/आरोप (नालन्दा) 02–40/2023**– 794 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक– 15/06/2026

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव, कनीय प्रभारी, प्रशाखा–3/ आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(इनायत खान)
विशेष सचिव।